

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

ई-मेल/
स्पीड पोस्ट

—: कार्यालय आदेश :—

श्री सरयुग बिन्दु अध्यक्ष, बिहार राज्य मिट्टी कट्टी संघ, झरखा पालीगंज, पटना द्वारा प्राप्त शिकायत के आलोक में संयुक्त जाँच दल द्वारा झरखा पालीगंज (प्रखंड), पटना जिला में विवाह सहायता योजना अंतर्गत आवेदकों एवं लाभुकों का स्थलीय जाँच दिनांक— 08.12.2025 एवं 15.12.2025 को किया गया।

2. जाँच के क्रम में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित विवाह सहायता योजना हेतु किये गये आवेदन के संबंध में लाभुकों से पूछताछ की गई एवं उनका बयान दर्ज किया गया।

3. स्थलीय जाँच एवं उपलब्ध कराये गए जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट पाया गया कि सुश्री मौसम भारती, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पालीगंज, सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा लाभुकों का किसी भी स्तर पर जाँच नहीं किया जा रहा है, और बिना जाँच के ही दलाल के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है। सुश्री भारती का यह कृत्य बोर्ड द्वारा संचालित मानक प्रक्रिया का उल्लंघन है। साथ ही सरकारी राशि का गबन, वित्तीय अनियमितता, लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के साथ इनका यह आचरण उनके कार्य एवं दायित्वों के विरुद्ध एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) का उल्लंघन है।

4. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक—7290 दिनांक—18.12.2025 द्वारा सुश्री मौसम भारती, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पालीगंज, सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना को पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित किए जाने का निदेश दिया गया। सुश्री मौसम भारती से ससमय स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में उनके विरुद्ध विभागीय पत्रांक—7425 दिनांक—24.12.2025 द्वारा आरोप—पत्र गठित कर उक्त आरोप से संबंधित आरोप—पत्र तथा आरोप के मद्दों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17/19 के आलोक में अपना बचाव बयान समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

5. विभागीय पत्रांक—7425 दिनांक—24.12.2025 के आलोक में सुश्री मौसम भारती, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पालीगंज, सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक—73 दिनांक—30.12.2025 के माध्यम से आरोप—पत्र पर बचाव का लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

6. सुश्री मौसम भारती द्वारा समर्पित आरोप—पत्र पर बचाव का लिखित अभिकथन के समीक्षोपरान्त उनके विरुद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि धारित करने की शास्ति अधिरोपित किया जाता है।"

4/11/26
(राजश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 5/आर०एल०-40-175/2025 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4 21/1/26
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 5/आर०एल०-40-175/2025 श्र०सं०-

413

पटना, दिनांक-

22/1/26

प्रतिलिपि:- उप श्रमायुक्त, पटना प्रमंडल, पटना /श्रमायुक्त के सचिव/ आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/ सुश्री मौसम भारती, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पालीगंज, सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4 21/1/26
श्रमायुक्त, बिहार।